न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 144/2024 दायर दिनाँक 24.06.2024

वादी

1. पतासी देवी पत्नी मानाराम जाति जाट निवासी पालोट तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. सुखदेव पुत्र जयराम
2. मालाराम पुत्र जयराम
3. भंवरी देवी पुत्री जयराम
4. जेठीदेवी पत्नी सुखाराम
5. भंवरीदेवी पत्नी मालाराम
6. मगनाराम पुत्र नानूराम
7. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र नानूराम
8. मन्जूदेवी पत्नी श्रवणराम
9. श्रवणराम दत्तक पुत्र लिछमादेवी पत्नी भागूराम उर्फ भागीरथ समस्त जाति नाई निवासी पालोट तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन
   1. मन्जु पत्नी श्रवणराम
   2. रणजीत पुत्र श्रवणराम
   3. पूजा पुत्री श्रवणराम जाति नाई निवासी पालोट तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन
10. सुपानदेवी पत्नी रामूराम जाति जाट निवासी पालोट तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन
11. मेनेजर साहब एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा डीडवाना
12. मेनेजर साहब एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा कुचामनसिटी
13. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.,

उपस्थित:–

1. श्री प्रकाश डूकिया वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 12.02.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके सरहद पालोट के पुराने खेत खसरा संख्या 45 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा जिसके नया ख[illegible]या 98 रकबा 0.0200 है. गै.मु.कुण्ड खसरा नम्बर 99 रकबा 0.1400 है0 [illegible] रकबा 0.0600 है0 गै. मु.सडक खसरा संख्या 101 रकबा 0.0600 है बने है तथा [illegible]राने खेत खसरा संख्या 70 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा जिसके नया [illegible] 171 रकबा 0.5400 है [illegible] है। तथा पुराने खेत खसरा संख्या 94 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा जिसके नया खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:24:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

219 रकबा 1.6700 है. बने है तथा पुराने खेत खसरा संख्या 257 रकबा 54 बीघा 03 बिस्वा जिसके नया खसरा संख्या 563 रकबा 8.7700 है. बने है तथा पुराने खेत खसरा संख्या 342 रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा जिसके नया खसरा संख्या 746 रकबा 5.2800 है. बने है तथा पुराने के खसरा संख्या 547/412 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा जिसके नया खसरा संख्या 854 रकबा 0.9200 है. बने है। वादीनी ने पूर्व खातेदार भागीरथ दत्तक पुत्र अमराराम जाति नाई निवासी पालोट से उसका सम्पूर्ण सम्भावित 1/4 हिस्सा दिनांक 17.05.2012 को जरिये बैचाण रजि. के खरीद किया था जिसका म्युटेशन दर्ज होने के बाद वादिनी का नाम पूर्व खातेदार भागीरथ दत्तक पुत्र अमराराम के स्थान पर उपरोक्त तमाम खेतों में 1/4 हिस्से की खातेदारी में दर्ज हो गया। वादीनी ने अपने हिस्से व खातेदारी के पुराने खेत खसरा संख्या 342 रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा जिसके नये खसरा संख्या 746 रकबा 5.2800 है. बने है में से 1.132 है. जमीन पूर्व खातेदार भागीरथ दत्तक पुत्र अमराराम जाति नाई निवासी पालोट की पत्नी लिछमा पत्नी भागूराम उर्फ भागीरथ को बैचाण कर दी जिसका म्युटेशन लिछमा पत्नी भागूराम उर्फ भागीरथ सम्वत हाल में फौत हो चुकी है उसके जायन्दा पुत्र या पुत्री नहीं है। लिछमा पत्नी भागूराम उर्फ भागीरथ के दत्तक पुत्र प्रतिवादी संख्या 09 श्रवणराम है। पटवारी हल्का पालोट ने उक्त खेतों में खातेदारान का हिस्सा गलत दर्ज कर दिया जिसको दुरूस्त किया जाना न्याय संगात है।

मौजा पालोट के वर्तमान खेत खसरा संख्या 100, 101, 171, 854, 98, 99 की खातेदारी में खातेदारान का हिस्सा निम्न प्रकार दुरूस्त किया जाना है–

पतासीदेवी पत्नी मानाराम का 1/15 के स्थान पर 1/4 हिस्सा
गोगादेवी पत्नी जयराम का 1/15 के स्थान पर 1/40 हिस्सा
जेठीदेवी पत्नी सुखाराम का 1/15 के स्थान पर 1/12 हिस्सा
भंवरीदेवी पुत्री जयराम का 1/15 के स्थान पर 1/40 हिस्सा
भंवरीदेवी पत्नी मालाराम का 1/15 के स्थान पर 1/12 हिस्सा
मगनाराम पुत्र नानूराम का 1/05 के स्थान पर 3/16 हिस्सा
मन्जूदेवी पत्नी श्रवणराम का 1/15 के स्थान पर 1/12 हिस्सा
मालाराम पुत्र जयराम का 1/15 के स्थान पर 1/40 हिस्सा
राजेन्द्रप्रसाद पुत्र नानूराम का 1/05 के स्थान पर 3/16 हिस्सा
श्रवणराम पुत्र जयराम का 1/15 के स्थान पर 1/40 हिस्सा
सुखदेव पुत्र जयराम का 1/15 के स्थान पर 1/40 हिस्सा

मौजा पालोट के वर्तमान खेत खसरा संख्या 219 की खातेदारी में खातेदारान का हिस्सा निम्न प्रकार दुरूस्त किया जाना है–

पतासीदेवी पत्नी मानाराम का 1307/25050 के स्थान पर 3933/16700 हिस्सा
ग्राम पंचायत पालोट का 121/8350 के स्थान पर 121/8350
गोगादेवी पत्नी जयराम का 1/15 के स्थान पर 1/40 हिस्सा
जेठीदेवी पत्नी सुखाराम का 1/15 के स्थान पर 1/12 हिस्सा
भंवरीदेवी पुत्री जयराम का 1/15 के स्थान पर 1/40 हिस्सा
भंवरीदेवी पत्नी मालाराम का 1/15 के स्थान पर 1/12 हिस्सा
मगनाराम पुत्र नानूराम का 1/05 के स्थान पर 3/16 हिस्सा
मन्जूदेवी पत्नी श्रवणराम का 1/15 के स्थान पर 1/12 हिस्सा
मालाराम पुत्र जयराम का 1/15 के स्थान पर 1/40 हिस्सा
राजेन्द्रप्रसाद पुत्र नानूराम का 1/05 के स्थान पर 3/1[illegible]
श्रवणराम पुत्र जयराम का 1/15 के स्थान पर 1/40 हिस्सा
सुखदेव पुत्र जयराम का 1/15 के स्थान पर 1/40 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:24:28 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

मौजा पालोट के वर्तमान खेत खसरा संख्या 746, 563 की खातेदारी में खातेदारान का हिस्सा सही दर्ज है।

इस प्रकार उपरोक्त अनुसार दुरूस्ती किया जाना न्याय संगत है।

मौजा पालोट के वर्तमान खेत खसरा संख्या 100, 101, 171, 854, 98, 99, 219, 746, 563 की खातेदारी मे उपरोक्त अनुसार वादीनी के बंट व कब्जा काश्त में होने के बावजूद खेतों की खातेदारी वादीनी व सहकाश्तकार के नाम हिस्सा सही दर्ज नहीं होने से व अन्य सहकाश्तकार का नाम खातेदारी में गलत हिस्सा दर्ज होने से अन्य सहकाश्तकार जमीन बैचने की फिराक में होने पर वादीनी द्वारा राज्य सरकार से समय–समय पर मिलने वाली योजनाओं का लाभ नही उठा सकने के कारण वादीनी के जायज अधिकार खतरे में पड गये है। वादीनी अपने नाम उपरोक्तानुसार सही हिस्सा की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती कराने की अधिकारनी है। घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का दावा पेश किया है।

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :–

सरहद पालोट के पुराने खेत खसरा संख्या 45 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा जिसके नया खसरा संख्या 98 रकबा 0.0200 है. गै.मु.कुण्ड खसरा नम्बर 99 रकबा 0.1400 है0 खसरा संख्या 100 रकबा 0.0600 है0 गै.मु.सडक खसरा संख्या 101 रकबा 0.0600 है. बने है तथा पुराने खेत खसरा संख्या 70 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा जिसके नया खसरा संख्या 171 रकबा 0.5400 है. बने है। तथा पुराने खेत खसरा संख्या 94 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा जिसके नया खसरा संख्या 219 रकबा 1.6700 है. बने है तथा पुराने खेत खसरा संख्या 257 रकबा 54 बीघा 03 बिस्वा जिसके नया खसरा संख्या 563 रकबा 8. 7700 है. बने है तथा पुराने खेत खसरा संख्या 342 रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा जिसके नया खसरा संख्या 746 रकबा 5.2800 है. बने है तथा पुराने के खसरा संख्या 547/412 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा जिसके नया खसरा संख्या 854 रकबा 0.9200 है. बने है की खातेदारी में वादीनी व सहकाश्तकार का हिस्सा उपरोक्त वर्णितानुसार खातेदारी में हिस्सा दर्ज करने की घोषणा की जाकर इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती फरमाई जावें। तथा खातेदार गोगादेवी पत्नी जयराम फौत होने से उसका नाम हटाया जाकर उसके हिस्से की खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम दर्ज किया जावे। तथा मौजा पालोट के खेत खसरा संख्या 746 रकबा 5.2800 है. की खातेदारी में से लिछमा पत्नी भागूराम उर्फ भागीरथ फौत होने से उसका नाम हटाया जाकर उनके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 09 श्रवणराम दत्तक पुत्र लिछमादेवी दर्ज किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित होने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 11 व 12 की ओर से अधिवक्ता हरफुल राव ने जवाब पेश किया। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार डीडवाना से जरिये पत्रांक प. 1(11)रीडर/2025/452 दिनांक 29.08.2025 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पालोट की जमाबंदी 2066–2069 की खाता संख्या 50 खसरा संख्या 45, 70, 84, 257, 342 एवं 574/112 रकबा क्रमशः 1. 15, 3.07, 10.07, 51.03, 32.13, 5.13 बीघा कुल खसरा 6 कुल रकबा 107.18 बीघा भूमि के खातेदार भागीरथ दत्तक पुत्र ... का हिस्सा 1/4 दर्ज रेकर्ड था। उक्त खसरा भूमि में बेचाण से नामान्तरण संख्या ... दिनांक 05.06.2012 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:24:28 IST
Reason: SelfAttested

vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उक्त खोतदार की सम्पूर्ण भूमि पतासी देवी पत्नी मानाराम जाति जाट निवासी पालोट के नाम दर्ज हुई। ग्राम पालोट की जमाबंदी 2066–2069 में खसरा संख्या 342 रकबा 32–13 बीघा में से बेचाण से नामामन्तकरण संख्या 649 दिनांक 12.01.2013 पतासी देवी के हिस्से से लिछमादेवी पत्नी भागुराम जाति नाई हिस्सा 140/653 के दर्ज हुई है। सेग्रीगेसन के पश्चात बनी नवीन जमाबंदी के खाता संख्या 259 खसरा संख्या 100, 101, 171, 854, 98, 99 रकबा क्रमशः 0.06, 0.06, 0.54, 0.92, 0.02, 0.14 कुल खसरा 6 कुल रकबा में खातेदार पतासी पत्नी मानाराम का हिस्सा 1/4 के बजाय 1/15 दर्ज है एवं खाता संख्या 421 खसरा संख्या 219 रकबा 1.67 है0 में खातेदार पतासी देवी पत्नी मानाराम का हिस्सा 3933/16700 के बजाय 1307/25050 दर्ज है। पतासी देवी का हिस्सा सेग्रीगेशन के वक्त सहवन से अन्य खातेदारों के दर्ज हो गया एवं खातेदारों में से मगनाराम पुत्र नानुराम एवं राजेन्द्र प्रसाद का हिस्सा एचडीएफसी बैंक कुचामनसिटी में रहन दर्ज है। तहसीलदार डीडवाना ने अपनी रिपोर्ट के साथ वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टी को दुरूस्त करते हुए नई प्रविष्टी प्रस्तावित की गई। जिसके अनुसार हिस्सा दुरूस्त किया जाना उचित बताया गया है।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस वाद तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट से सहमति जाहिर करते हुए एवं वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णितानुसार वादीनी व सहकाश्तकार का हिस्सा दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, तहसीलदार मौलासर से प्राप्त रिपोर्ट, विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर राजस्व रेकर्ड के नक्शे में गलत अंकन होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश :–

मौजा ग्राम पालोट तहसील डीडवाना खसरा संख्या 100, 101, 171, 854, 98, 99 रकबा क्रमशः 0.06, 0.06, 0.54, 0.92, 0.02, 0.14 कुल खसरा 6 कुल रकबा 1.7400 हैक्टेयर एवं ,खसरा संख्या 219 रकबा 1.6700 है. भूमि का राजस्व नक्शा तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक प.1(11)रीडर/2025/452 दिनांक 29.08.2025 में प्रस्तुत तालीका अनुसार दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक प. 1(11)रीडर/2025/452 दिनांक 29.08.2025 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

Vikas
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **12.02.2026** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:24:28 IST
Reason: SelfAttested